आयकर अपीलीय अधिकरण,

इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 194/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2011-12

प्रकाश चंद जैन, MIG-8, चंचल नगर, लक्ष्मी नगर भेल के पास, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 5 (2), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. -एएचएलपीजे 6173 एफ PAN - AHLPJ6173F		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री मिलिंद वाधवानी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	08.08.2024
उद्धघोषणा तिथि :	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड लेखा सदस्य द्वारा ,

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के आरंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष निवेदन किया कि निर्धारिती इस अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील को वापिस लेने की

अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः मैं इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करता हूँ ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल